

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या...745...
दिनांक 14/3/2022

क्रमांक-प. 5(3)गृह-1/1998

जयपुर, दिनांक : 10.03.2022

आदेश


राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 1998-99 की रिक्तियों हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.04.1999 के समय श्री कैलाश गोयल, आरपीएस के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक 1(198)कार्मिक/क-3/95 दिनांक 10.01.1996 द्वारा आरोप पत्र जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

श्री कैलाश गोयल, आरपीएस के विरुद्ध अन्तर्गत नियम 17 सीसीए की विभागीय जांच को कार्मिक विभाग के आदेश प.1(198)कार्मिक/क-3/1995 दिनांक 28.10.2021 द्वारा समाप्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 1998-99 की दिनांक 30.04.1999 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री कैलाश गोयल, आरपीएस को राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 1998-99 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री कैलाश गोयल, आरपीएस अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री गोयल, आरपीएस को पदोन्नति वर्ष 1998-99 से सेवानिवृत्ति की दिनांक तक नोशनल आधार पर वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा10 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, पुलिस